

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

विश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को अनुमन्य अवकाश का विवरण—

(क) आकस्मिक अवकाश:

- (i) एक शैक्षणिक वर्ष में एक प्राध्यापक को स्वीकृत कुल आकस्मिक छुट्टियों की संख्या 8 दिन से अधिक नहीं होगी।
- (ii) आकस्मिक छुट्टी विशेष आकस्मिक छुट्टी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ नहीं ली जा सकती। इन्हें रविवार सहित अन्य अवकाशों के साथ लिया जा सकता है। आकस्मिक छुट्टियों के मध्य पड़ने वाले अवकाशों अथवा रविवारों को आकस्मिक छुट्टी के रूप में नहीं गिना जायेगा।

(ख) विशेष आकस्मिक अवकाश:

एक शैक्षणिक वर्ष में एक प्राध्यापक को अधिकतम 10 दिन की आकस्मिक छुट्टी माननीय कुलपति जी की अनुमति से स्वीकृत की जा सकती हैं।

- (i) एक विश्वविद्यालय/लोक सेवा आयोग परीक्षा बोर्ड अथवा अन्य ऐसी ही संस्था/स्थानों की परीक्षा आयोजित करने हेतु तथा
- (ii) सर्वाधिक बार्ड से संबंध शैक्षिक संस्थानों के निरीक्षण हेतु आदि।

(ग) ड्यूटी अवकाश :

ड्यूटी छुट्टी जिसकी अधिकतम सीमा 15 दिनों तक होगी निम्न कारणों से ली जा सकती है :-

- (i) विश्वविद्यालय की ओर से अथवा विश्वविद्यालय की अनुमति से सम्मेलनों, बैठकों, गोष्ठियों एवं संगोष्ठियों में भाग लेने हेतु।
- (ii) संस्थाओं, विश्वविद्यालयों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त तथा कुलपति जी द्वारा स्वीकृत आमंत्रण पर ऐसी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में भाषण देने हेतु।
- (iii) अन्य भारतीय अथवा विदेशी विश्वविद्यालय, किसी अन्य एजेन्सी, संस्था अथवा संगठन में कार्य करते हुए यदि ऐसी प्रतिनयुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की गई हो।
- (iv) भारत सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संबद्ध विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक निकाय द्वारा नियुक्त समिति में कार्य करने अथवा डेलीगेशन में भाग लेने हेतु तथा
- (v) विश्वविद्यालय के किसी अन्य कार्य के निष्पादन हेतु।

(घ) अर्जित अवकाश :

(A) एक प्राध्यापक को देय अर्जित छुट्टी इस प्रकार है:-

- (i) वेकेशन अवकाशों सहित वास्तविक सेवा अवधि का 30वां हिस्सा अर्थात् (1/30)।
- (ii) ऐसी अवधि, जिसमें उसे वेकेशन अवकाश के दौरान ड्यूटी करना अपेक्षित हो यदि कोई हो तो, का एक तिहाई हिस्सा अर्थात् (1/3)।

(B) एक प्राध्यापक के खाते में 90 दिनों से अधिक दिन की अर्जित छुट्टियां संचित नहीं हो सकती। परन्तु संचित अवकाश का नकदीकरण अनुमन्य नहीं होगा। एक बार में अधिकतम 60 दिन की अर्जित छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। फिर भी उच्चतम अध्ययन अथवा प्रशिक्षण अथवा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र पर आधारित छुट्टी अथवा यदि पूरी छुट्टी अथवा उसका कोई भाग भारत के बाहर बिताया हो तो ऐसे मामले में 90 दिन तक अर्जित छुट्टी भी स्वीकृत की जा सकती है। अर्जित अवकाश का नगदीकरण अनुमन्य नहीं होगा तथा अर्जित अवकाश का उपभोग पूर्वानुमति प्राप्त करते हुए की जा सकेगी।

(ङ) अर्द्धवेतन अवकाश :

वेतन स्थायी प्राध्यापक को सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 15 दिन की अर्द्ध वेतन छुट्टी देय हैं ऐसी छुट्टी निजी मामलों अथवा शैक्षणिक उद्देश्यों से पंजीकृत चिकित्सक के चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकृत की जा सकती है।

नोट: सेवा के पूर्ण वर्ष से तात्पर्य विश्वविद्यालय के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की सतत सेवा से है तथा ड्यूटी से अनुपस्थिति एवं असाधारण छुट्टियों सहित छुट्टियों की अवधि भी इसमें शामिल होगी।

(च) अध्ययन छुट्टी :

अध्ययन छुट्टी कम से कम तीन साल की सतत सेवा पूरी करने पर विश्वविद्यालय में उसके कार्य से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध अध्ययन अथवा शोध की विशेष लाइन अथवा विश्वविद्यालय संगठन के विभिन्न क्षेत्रों एवं शिक्षा के तरीकों का विशेष अध्ययन करने हेतु स्वीकृत की जा सकती है। अध्ययन छुट्टी की भुगतान अवधि 01 वर्ष होगी, परन्तु पहली बार में छः माह की होगी, अनुसंधान मार्गदर्शक (गाइड) की रिपोर्ट के अनुसार पर्याप्त प्रगति होने पर छः माह और बढ़ाई जा सकती है। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि किसी भी विभाग में अध्ययन छुट्टी पर जाने वाले प्राध्यापकों की संख्या प्राध्यापकों के निर्धारित प्रतिशत से अधिक न हो बशर्ते कि किसी मामले की विशेष परिस्थिति में कार्यकारी परिषद/सिंडीकेट तीन वर्ष की सेवा की निरंतरता की शर्त से छूट दे सकती है।

(3)


(छ) प्रसूति अवकाश / मातृत्व अवकाश

एक महिला प्राध्यापक को अधिकतम 135 दिन की मातृत्व छुट्टी पूर्ण वेतन पर स्वीकार की जा सकती है, पूरे सेवाकाल में दो बार ली जा सकती है। मातृत्व छुट्टी गर्भपात सहित अपरिपक्व प्रसव के मामले में भी इस शर्त के अधीन स्वीकृत की जा सकती है कि पूरे सेवा काल में एक महिला प्राध्यापक को इस संबंध में स्वीकृत कुल छुट्टियां 45 दिन से अधिक न हो तथा छुट्टी हेतु आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न हो।

मातृत्व छुट्टी, अर्जित छुट्टी, अर्द्धवेतन छुट्टी अथवा असाधारण छुट्टी के साथ ली जा सकती है परन्तु यदि आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न हो, तो मातृत्व छुट्टी के साथ आवेदित अन्य छुट्टी भी स्वीकृत की जा सकती है।

(ज) पितृत्व अवकाश

पुरुष प्राध्यापकों को उनकी पत्नियों के घर की चार दीवारी में रहने के दौरान 15 दिन पितृत्व छुट्टी स्वीकार की जा सकती है बशर्ते कि इसे दो बच्चों तक सीमित रखा जाए।


(महेश चन्द्र)
कुलसचिव

